आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 05 तथा 06/ इंदौर /2021
निर्धारण वर्ष : 2013-14 (24 क्यू तथा 26 क्यू)

गिरधर टेन्टस् प्रा.लि. इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी (टीडीएस)-1, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएसीजी 4731 एफ		

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री अनिल कमल गर्ग तथा अर्पित गौर, सीए
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि	11.11.2021
उद्घघोषणा तिथि	17.11.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 (24 क्यू तथा 26 क्यू) से संबंधित निर्धारिती की ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त -(अपील)1 इंदौर के ,आदेश आयकर अधिनियम ,1961 की धारा 234 ई के साथ पठित धारा 200 ए(1) के अधीन आदेश दिनांक 06.03.2019 के विरूध्द अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित है । चूंकि इन अपीलों में समान तथ्य अंतर्ग्रस्त है अतः इन्हें इस समेकित आदेश द्वारा निपटान किया जा रहा है ।

2. ये सभी अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियों को दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण के संबंध में है । सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन सभी प्रकरणों में, टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । अतः समकक्ष न्यायपीठ इंदौर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 727/इंदौर/2017 तथा अन्य में आदेश दिनांक 13.11.2018 में निर्णय पूर्णतः निर्धारिती के पक्ष में आवृत्त है ।

3. दूसरी ओर विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का खंडन नहीं कर पाये ।

4हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । वर्तमान अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियां दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण से संबंधित है । यह विवादित नहीं है कि इन प्रकरणों में टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा अधिनियम की धारा 200 ए के उपबंधों में 01.06.2015 से प्रभावी रूप से संशोधन किया गया था जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 200ए के अधीन तिमाही विवरणी संसाधित करते समय टीडीएस विवरणी दाखिल करने में विलंब के लिए अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस अधिरोपित की जा सकती है । विभिन्न माननीय न्यायालयों तथा अधिकरणों ने अभिधारित किया है कि 01 जून, 2015 से पूर्व अधिनियम की धारा 200 ए के अधीन संसाधित विवरणियों में अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस का

अधिरोपण न्यायसंगत नहीं है । इस न्यायपीठ द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल (उपरोक्त) प्रकरण में विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित इस प्रकार की फीस हटाई गई है । हमारे विचारपूर्ण अभिमत में, इस अधिकरण का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल (उपरोक्त) प्रकरण में यह निर्णय वर्तमान अपीलों में लिए गए समान मुद्दों पर पूर्णतः लागू है । अतः हम इस न्यायपीठ के पूर्ववर्ती आदेश का अनुसरण करते हुए वर्तमान प्रकरणों में लिए गए आधारों को स्वीकृत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित फीस को हटाते हैं । इस प्रकार निर्धारितियों द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकृत की जाती हैं

6. परिणामतः निर्धारिती की अपीलें स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 17.11.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 17.11.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल